

Specific Relief Act, 1963

01

Chapter 1-2

विविदिष्ट अनुतोष
अधिनियम, 1963

SECTION (01 - 25)



#Judiciary

DOWNLOAD UMMEED CLASSES APP

POONAM SHA



विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963

Specific Relief Act, 1963

(47 of 1963)

UMMEED
LAW CLASSES

Parts - 3,

Total - 8
Chapters


Total
sections
44





PARTS

PART	Particulars	Sections
1	Part I PRELIMINARY <u>पृष्ठा १</u>	1-4
2	Part II SPECIFIC RELIEF <u>पृष्ठा २</u> ch- 1 to 6	5-35
3	Part III PREVENTIVE RELIEF <u>पृष्ठा ३</u> Ch- 7, 8	36-44





Part 2

CHAPTERS

CHAPTER	Particulars	Sections
1	RECOVERING POSSESSION OF PROPERTY सम्पति के कब्जे का प्रत्युद्धरण	5-8
2	SPECIFIC PERFORMANCE OF CONTRACTS संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन	9-25
3	RECTIFICATION OF INSTRUMENTS लिखतों की परिशृद्धि	26
4	RESCISSIION OF CONTRACTS संविदाओं का विखंडन	27-30
5	CANCELLATION OF INSTRUMENTS लिखतों का रद्दकरण	31-33





CHAPTER	Particulars	Sections
6	DECLARATORY DECREES घोषणात्मक डिक्रियां	34-35
7	INJUNCTIONS GENERALLY व्यादेश साधारणतः	36-37
8	PERPETUAL INJUNCTIONS शाश्वत व्यादेश	38-44

UMMEED
LAW CLASSES



FASTRACK TEST SERIES

RJS/APO

हृष्ट परीक्षा पेटर्न पर आधारित


Hindi + English

30 / 30
अंक पक्के

With / Without Video Solution

पेपर से पहले 100 बार पेपर जैसी तैयारी

इस बार सिलेक्शन परका





PART 01

Preliminary
(प्रारंभिक)

(1-4)

UMMEED
LAW CLASSES





धारा 1 – संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –

enact

13 Dec 1963

- (1) इस अधिनियम को विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 कहा जा सकेगा
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा। J&K Relief Act 31.10.19
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

Section 1 — Short title, extent and commencement –

- (1) This Act may be called the Specific Relief Act, 1963.
- (2) It extends to the whole of India.
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

1 March 1964





धारा 2— परिभाषाें-

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) “**बाध्यता**” के अन्तर्गत **विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य है;**

(ख) “**व्यवस्थापन**” से अभिप्रेत है **कोई लिखित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) द्वारा यथा परिभाषित किसी इच्छापत्र (विल) या क्रोडपत्र से भिन्न जिसके द्वारा जंगम या स्थावर सम्पत्ति के क्रमवत्तों हितों का गंतव्य अथवा न्यागमन का व्ययन किया जाता है अथवा व्ययन किया जाना तय किया जाता है।**

Section 2 — Definitions

(a) - (e)

In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) **“obligation”** includes **every duty enforceable by law;**

(b) **“settlement”** means an instrument (other than a will or codicil as defined by the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925)] whereby the destination or devolution of successive interests movable or immovable property is disposed of or is agreed to be disposed of;





(ग) “न्यास” का वही अर्थ है जो भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2) की धारा 3 में है, और इसके अन्तर्गत उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर किसी न्यास की प्रकृति में कोई बाद्यता भी है।

(घ) “न्यासी” के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति है जो न्यास में सम्पत्ति धारण किये हुए है;

(c) “trust” has the same meaning as in section 3 of the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), and includes an obligation in the nature of a trust within the meaning of Chapter IX of that Act;

(d) “trustee” includes every person holding property in trust:





(ड) अन्य समस्त शब्दों एवं अभिव्यक्तियों, जो इसमें प्रयुक्त की गईं परन्तु परिभाषित नहीं की गईं, और भारतीय संविधा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) में परिभाषित की गई है, के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उन्हें क्रमशः समनुदेशित किये गए हैं।

(e) all other words and expressions used herein but not defined, and defined in the Indian Contract Act, 1872 (9 of 1872), have the meanings respectively assigned to them in that Act.

RPSC APO 2024



TEST SERIES

हृष्ट परीक्षा पैटर्न पर आधारित

Law + Language

WITHOUT DETAILED VIDEO SOLUTIONS

पेपर से पहले 100 बार पेपर जैसी तैयारी

इस बार सिलेक्शन परफ़ा

Prelim Exam

100
TEST
SERIES



5 May



#Hinglish

By Poonam Sha



3. व्यावृत्तियाँ -

एतस्मिन् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि :

- (क) किसी व्यक्ति को, विनिर्दिष्ट पालन से भिन्न, अनुतोष के किसी अधिकार से वंचित करती है जो उसे किसी संविदा के अधीन है; या
- (ख) दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के प्रवर्तन को प्रभावित करती है।

3. Savings -

Except as otherwise provided herein, nothing in this Act shall be deemed :

- (a) to deprive any person of any right to relief, other than specific performance, which he may have under any contract; or
- (b) to affect the operation of the Indian Registration Act, 1908, on documents.





Section 4. Specific relief to be granted only for enforcing individual civil rights and not for enforcing penal laws -

Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights and not for the mere purpose of enforcing a penal law.

Naiyar Sewice Society V. K.C. Ngund 1968.

धारा4 विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिये दिया जाना और दण्डिक विधियों को प्रवर्तित कराने के लिये नहीं -

विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिये दिया जा सकता है और किसी दण्डिक विधि को प्रवर्तित कराने मात्र के प्रयोजन के लिये नहीं ।





Part 2 Specific Relief

CHAPTER 01

RECOVERING POSSESSION OF PROPERTY

सम्पति के कब्जे का प्रत्युदाधरण

(05-08)

UMMEED
LAW CLASSES





धारा 5. विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति का प्रत्युदाधरण -

विनिर्दिष्ट स्थावर सम्पत्ति के काले का हकदार कोई व्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) द्वारा उपबंधित रीति में उसे प्रत्युदाधरित कर सकेगा।

Section 5. Recovery of specific immovable property -

A person entitled to the possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

Art 64
65 limitation -> 12 yrs ~~सालों~~






**6. स्थावर सम्पति से बेकब्जा किये
गए व्यक्ति द्वारा वाद -**

(1) यदि कोई व्यक्ति उसकी सम्मति के बिना, स्थावर सम्पति से, विधि के सम्यक् अनुक्रम से अन्यथा, बेकब्जा कर दिया गया है, तो वह अथवा [कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा है अथवा] उसके माध्यम से दावा कर रहा कोई व्यक्ति, वाद द्वारा, उसका कब्जा प्रत्युदाधित कर सकेगा, किसी अन्य हक के होते हुए भी जो ऐसे वाद में स्थापित किया जा सके ।

**6. Suit by person dispossessed of
immovable property -**

(1) If any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, he or any person [through whom he has been in possession or any person] claiming through him may, by suit, recover possession *के साथाधारी* thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit.





(2) इस धारा के अधीन कोई वाद :

(क) बेकब्जा किये जाने की दिनांक से छः brought

माह के अवसान के पश्चात्; या 6m

(ख) शासन के विरुद्ध, नहीं लाया

जाएगा। No review/No appeal

(3) इस धारा के अधीन स्थित किसी

वाद में परित किसी आदेश या डिक्री से

कोई अपील नहीं होगी, जा ही ऐसे किसी

आदेश या डिक्री का कोई पुनर्विलोकन

मंजूर किया जाएगा।

(4) इस धारा की कोई बात ऐसी सम्पत्ति

पर उसका हक स्थापित करने हेतु वाद

लाने और उसका कब्जा प्रत्यदधित करने

से किसी व्यक्ति को वर्जित नहीं करेगी।

(2) No suit under this section shall be

brought

(a) after the expiry of six months from

the date of dispossession; or

(b) against the Government.

(3) No appeal shall lie from any order or

decree passed in any suit instituted

under this section, nor shall any review

of any such order or decree be allowed.

(4) Nothing in this section shall bar any

person from suing to establish his title

to such property and to recover

possession thereof.





7. विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति का प्रत्युदधरण - विनिर्दिष्ट जंगम सम्पत्ति के कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा उपबंधित रीति में उसका प्रत्युदधरण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण 1 कोई न्यासी इस धारा के अधीन जंगम सम्पत्ति के कब्जे के लिये वाद ला सकेगा जिसके फायदाप्रद हित का वह व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है।

स्पष्टीकरण 2 जंगम सम्पत्ति के वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन किसी वाद का समर्थन करने हेतु पर्याप्त है।

7. Recovery of specific movable property
A person entitled to the possession of specific movable property may recover it in the manner provided by the Code of Civil Procedure, 1908

Explanation 1 - A trustee may sue under this section for the possession of movable property to the beneficial interest in which the person for whom he is trustee is entitled.

Explanation 2 - A special or temporary right to the present possession of movable property is sufficient to support a suit under this section.





8. कब्जा धारण करने वाले व्यक्ति का, जो स्वामी के नाते नहीं है, अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्तियों को परिदत्त करने का दायित्व -

कोई व्यक्ति जिसका जंगम सम्पत्ति की किसी विशेष वस्तु पर कब्जा या नियंत्रण है, जिसका वह स्वामी नहीं है, उसके अव्यवहित कब्जे के हकदार व्यक्ति को उसे परिदत्त करने लिये, निम्नलिखित किन्हीं भी दशाओं में, विनिर्दिष्टः बाध्य किया जा सकेगा :

(क) जब दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित हो;

8. Liability of person in possession, not as owner, to deliver to persons entitled to immediate possession -

Any person having the possession or control of a particular article of movable property, of which he is not the owner, may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession, in any of the following cases :

(a) when the thing claimed is held by the defendant as the agent or trustee of the plaintiff;





- (ख) जब धन के रूप में प्रतिकर, दावाकृत वस्तु की हानि के लिये वादी को यथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं करता हो;
- (ग) जब उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन हो;
- (घ) जब दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी से दोषपूर्वक अन्तरित कराया गया हो।
- (b) when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed;
- (c) when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss;
- (d) when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff.





स्पष्टीकरण - जब तक और जहाँ तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, न्यायालय, इस धारा के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन दावाकृत जंगम सम्पत्ति की किसी वस्तु की बाबत् उपधारणा करेगा --

(क) कि धन के रूप में प्रतिकर, दावाकृत वस्तु की हानि के लिये वादी को 'यथायोग्य अनुतोष प्रदान नहीं करेगा, या, यथास्थिति;

(ख) कि उसकी हानि द्वारा कारित वास्तविक नुकसान को 'अभिनिश्चित करना अत्यंत कठिन होगा।

Explanation — Unless and until the contrary is proved, the court shall, in respect of any article of movable property claimed under clause (b) or clause (c) of this section, presume

(a) that compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, or, as the case may be;

(b) that it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss





CHAPTER 02

SPECIFIC PERFORMANCE OF CONTRACTS

संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन

(09-25)

UMMEED
LAW CLASSES





9. संविदा पर आधारित अनुतोष के 9. **Defences respecting suits for relief based on contract -**

एतस्मिन अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, Except as otherwise provided
जहाँ किसी संविदा की बाबत् इस अध्याय के अधीन कोई अनुतोष का दावा किया गया है, व्यक्ति जिसके विरुद्ध अनुतोष का दावा किया गया है, प्रतिरक्षा के रूप में किसी आधार का अभिवचन कर सकेगा जो संविदाओं से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन उसे उपलब्ध हो ।

herein, where any relief is claimed under this Chapter in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defence any ground which is available to him under any law relating to contracts.

S-10
ICA





Contracts which can be specifically enforced

संविदा जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन करायाजा सकता है

(10-13)

≡

UMMEED
LAW CLASSES





10. संविदाओं की बाबत विनिर्दिष्ट पालन -

न्यायालय द्वारा किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन धारा 11 की उपधारा (2), धारा 14 और धारा 16 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए कराया जाएगा।

10. Specific performance in respect of contracts -

The Specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provisions contained in sub-section (2) of section 11, section 14 and section

16.

S - 11(2)
14
16 } अधीन





11. दशाएँ जिनमें न्यासों के साथ सम्बद्ध संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है -

(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, किसी संविदा का विनिर्दिष्ट पालन, [कराया जाएगा] जब किये जाने के लिये करारित कार्य किसी न्यास के पूर्णतः या अंशतः पालन में हो

(2) किसी न्यासी द्वारा, उसकी शक्तियों से बाहर या न्यास के भंग में की गई संविदा, विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती। → spe. rem. perp.

11. Cases in which specific performance of contracts connected with trusts enforceable -

(1) Except as otherwise provided in this Act, specific performance of a [contract shall], be enforced when the act agreed to be done is in the performance wholly or partly of a trust.

(2) A contract made by a trustee in excess of his powers or in breach of trust cannot be specifically enforced.





12. संविदा के भाग का विनिर्दिष्ट पालन -


(1) इस धारा में इसके पश्चात् अन्यथा उपबंधित के सिवाय, न्यायालय किसी संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन निदेशित नहीं करेगा।

(2) जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें के उसके सम्पूर्ण भाग का पालन करने में असमर्थ हो किन्तु वह भाग जो अपालित रह जाना है मूल्य में प्रेरणा के अनुपात में बहुत कम हो और धन के रूप में प्रतिकर हो सकता है, तो न्यायालय, दोनों में से किसी पक्षकार के वाद पर, संविदा का उतना विनिर्दिष्ट पालन करने का निदेश दे सकेगा जितना पालन किया जा सकता है और कमी के लिये धन के रूप में प्रतिकर अधिनिर्णीत कर सकेगा।

12. Specific performance of part of contract

(1) Except as otherwise hereinafter provided in this section the court shall not direct the specific performance of a part of a contract.

(2) Where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed by only a small proportion to the whole in value and admits of compensation in money, the court may, at the suit of either party, direct the specific performance of so much of the contract as can be performed, and award compensation in money for the deficiency.





(3) जहाँ किसी संविदा का कोई पक्षकार उसमें
के उसके सम्पूर्ण भाग का पालन करने में
असमर्थ हो, और वह भाग जो अपालित रह
जाना है या तो -

(क) सम्पूर्ण का कोई प्रचुर भाग हो यद्यपि
धन के रूप में प्रतिकर हो सकता हो; या
(ख) धन के रूप में प्रतिकर नहीं हो सकता हो,
तो वह विनिर्दिष्ट पालन के लिये कोई डिक्री
प्राप्त करने का हकदार नहीं है किन्तु
न्यायालय, दूसरे पक्षकार के वाद पर,
व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार को संविदा के
उतने भाग का विनिर्दिष्टतः पालन करने का
निदेश दे सकेगा जितना वह पालन कर सकता
है, यदि दूसरा पक्षकार -

(3) Where a party to a contract is unable
to perform the whole of his part of it, and
the part which must be left unperformed
either -

(a) forms a considerable part of the whole,
though admitting of compensation in
money; or

(b) does not admit of compensation in
money;

he is not entitled to obtain a decree for
specific performance; but the court may,
at the suit of other party, direct the party
in default to perform specifically so much
of his part of the contract as he can
perform, if the other party -





(i) खण्ड (क) के अधीन आने वाली किसी दशा में, उस भाग के लिये जो अपालित रह जाना है, प्रतिफल घटाकर, संविदा के सम्पूर्ण के लिये करारित प्रतिफल दे दे या दे चुका हो और खण्ड (ख) के अधीन आने वाली किसी दशा में, बिना किसी कमी के संविदा के सम्पूर्ण के लिये प्रतिफल [दे दे या दे चुका हो]; और

(ii) दोनों में से प्रत्येक दशा में, संविदा के बाकी भाग के पालन के समस्त दावों और या तो कमी के लिये या प्रतिवादी के व्यतिक्रम के कारण उसके द्वारा उठाई गई हानि या नुकसान के लिये, प्रतिकर के समस्त अधिकारों, को त्याग दे।

(i) in a case falling under clause (a), pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed and a case falling under clause (b), [pays or had paid] the consideration for the whole of the contract without any abatement; and

(ii) in either case, relinquishes all claims to the performance of the remaining part of the contract and all right to compensation, either for the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant.






(4) जब किसी संविदा का कोई भाग, जो उसके स्वयं के द्वारा लिया जाए, का विनिर्दिष्टतः पालन किया जा सकता है और किया ही जाना चाहिए, उसी संविदा के अन्य भाग, जिसका विनिर्दिष्टतः पालन नहीं किया जा सकता या किया ही नहीं जाना चाहिए, से पृथक् और ~~स्पृतंत्र आधार~~ पर खड़ा हो तो न्यायालय ~~पूर्ववर्ती भाग~~ के विनिर्दिष्ट पालन का निदेश दे सकेगा।

स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिये, किसी संविदा का कोई पक्षकार, उसमें के उसके सम्पूर्ण भाग का पालन करने में ~~असमर्थ माना~~ जाएगा यदि उसकी विषय-वस्तु का कोई भाग संविदा की दिनांक को विद्यमान हो, उसके पालन के समय विद्यमान न रह जाए।

(4) When a part of a contract which, taken by itself, can and ought to be specifically performed, stands on a separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part.

Explanation For the purposes of this section, a party to a contract shall be deemed to be unable to perform the whole of his part of it if a portion of its subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of its performance.





13. क्रेता या पट्टेदार के उस व्यक्ति के विरुद्ध अधिकार जिसका कोई हक नहीं या अपूर्ण हक है -

(1) जहाँ कोई व्यक्ति, जिसका कोई हक नहीं या केवल कोई अपूर्ण हक है, कतिपय स्थावर सम्पत्ति के विक्रय या पट्टे पर देने की संविदा करता है, तो क्रेता या पट्टेदार के (इस अध्याय के अन्य उपबंधों के अध्यधीन) निम्नलिखित अधिकार हैं, अर्थात् :-

(क) यदि विक्रेता या पट्टाकर्ता ने संविदा के बाद सम्पत्ति में कोई हित अर्जित किया है, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसे हित में से संविदा की पूर्ति करने के लिए उसे बाध्य कर सकेगा;

13. Rights of purchaser or lessee against person with no title or imperfect title -

(1) Where a person contracts to sell or let certain immovable property having no title or only an imperfect title, the purchaser or lessee (subject to the other provisions of this Chapter), has the following rights, namely:-

(a) if the vendor or lessor has subsequently to the contract acquired any interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest;





(ख) जहाँ हक की विधिमान्यता के लिये अन्य व्यक्तियों की सहमति आवश्यक है, और वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर सहमत होने के लिये बाध्य हैं, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसी सहमति उपाप्त करने के लिये उसे बाध्य कर सकेगा, और जब हक को विधिमान्य करने के लिये अन्य व्यक्ति द्वारा कोई हस्तांतरण आवश्यक हो और वे विक्रेता या पट्टाकर्ता के निवेदन पर हस्तांतरण करने के लिये बाध्य हैं, तो क्रेता या पट्टेदार ऐसा हस्तांतरण उपाप्त करने के लिये उसे बाध्य कर सकेगा;

(b) where the concurrence of other persons is necessary for validating the title, and they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such concurrence, and when a conveyance by other persons is necessary to validate the title and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such conveyance; ✓





(ग) जहाँ विक्रेता विल्लंगमरहित सम्पत्ति के विक्रय की प्रत्यंजना करे, किन्तु सम्पत्ति क्रय धन से अनधिक किसी राशि के लिये बंधकित है और विक्रेता को वस्तुतः केवल उसके मोचन का अधिकार है, तो क्रेता उसे बंधक के मोचन के लिये और विधिमान्य उन्मोचन और, जहाँ आवश्यक हो, बंधकदार से कोई हस्तांतरण भी अभिप्राप्त करने के लिये, बाध्य कर सकेगा।

(c) where the vendor professes to sell unencumbered property, but the property is mortgaged for an amount not exceeding the purchase money and the vendor has in fact only a right to redeem it, the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge, and, where necessary, also a conveyance from the mortgagee;





(घ) जहाँ विक्रेता या पट्टाकर्ता संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिये वाद लाए और हक के अभाव में या अपूर्ण हक के आधार पर वाद खारिज हो जाए, तो प्रतिवादी को उसका निक्षेप, यदि कोई हो, उस पर ब्याज सहित, वापसी का, वाद के उसके खर्च पाने का अधिकार है, और सम्पत्ति में विक्रेता या पट्टाकर्ता के ऐसे निक्षेप, ब्याज और ब्याज पर व्यय, यदि कोई हों, पर धारणाधिकार है जो संविदा की विषय-वस्तु है।

(2) उपधारा (1) के उपबंध, जहाँ तक हो सके, जंगम सम्पत्ति के विक्रय या भाड़े की संविदाओं पर भी लागू होंगे।

(d) where the vendor or lessor sues for specific performance of the contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to a return of his deposit, if any, with interest thereon, to his costs of the suit, and to a lien for such deposit, interest and costs on the interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is the subject matter of the contract.

(2) The provisions of sub-section (1) shall also apply, as far as may be, to contracts for the sale or hire of movable property.



RJS Pre Exams 2024



चंद्रपान TEST SERIES

Law + Language

With Detailed Video Solutions

पेपर से पहले 100 बार पेपर जैसी तैयारी

100
TEST
SERIES

7:00 AM
IGA - 16 Class

10:15 AM
Solution



#judiciary

By Poonam Sha

हृष्ट पढ़ीका पैटर्न पर आधारित



Contracts which cannot be specifically enforced

संविदा जिनका विनिर्दिष्ट प्रवर्तन नहीं कराया जा
सकता है



UMMEED
LAW CLASSES





14. ऐसी संविदाएं, जो विनिर्दिष्टतया प्रवर्तनीय नहीं हैं।

निम्नलिखित संविदाओं को विनिर्दिष्टतया प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, अर्थात् :-

(क) जहां संविदा के किसी पक्षकार ने संविदा का प्रतिस्थापित पालन धारा 20 के उपबंधों के अनुसार अभिप्राप्त कर लिया है।


(ख) कोई ऐसी संविदा, जिसके पालन में ऐसे किसी निरंतर कर्तव्य का पालन अंतर्वलित है, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण नहीं कर सकता;

14. Contracts not specifically enforceable.-

The following contracts cannot be specifically enforced, namely:-

(a) where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provisions of section 20;

(b) a contract, the performance of which involves the performance of a continuous duty which the court cannot supervise;





(ग) कोई ऐसी संविदा, जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं पर इतनी निर्भर है कि न्यायालय उसके तात्परिक निबंध नों का विनिर्दिष्ट पालन नहीं करा सकता;

(घ) कोई ऐसी संविदा, जो अवधारणीय प्रकृति की है।

(c) a contract which is so dependent on the personal qualifications of the parties that the court cannot enforce specific performance of its material terms; and
(d) a contract which is in its nature determinable.

UMMEED
LAW CLASSES






14क. न्यायालय की विशेषज्ञों को नियुक्त करने की शक्ति -

(1) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के अधीने किसी भी वाद में, जहां न्यायालय, वाद में अंतर्वलित किसी विनिर्दिष्ट विवाद्यक पर अपनी सहायता के लिए विशेषज्ञ की राय प्राप्त करना आवश्यक समझता है, वहां वह एक या अधिक विशेषज्ञ नियुक्त कर सकेगा और उन्हें ऐसे विवाद्यक पर उसको रिपोर्ट करने का निदेश दे सकेगा तथा साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, जिसके अंतर्गत उक्त विवाद्यक पर दस्तावेजों का पेश किया जाना भी है, विशेषज्ञ की उपस्थिति सुनिश्चित कर सकेगा।

~~14A. Power of court to engage experts~~

(1) Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), in any suit under this Act, where the court considers it necessary to get expert opinion to assist it on any specific issue involved in the suit, it may engage one or more experts and direct to report to it on such issue and may secure attendance of the expert for providing evidence, including production of documents on the issue.



राजस्थान

APO

तैयार हो जाओ

Exclusive Batch For APO Main Exams

Ummeed है तो Judiciary है

- All Major, Minor & Local Laws
- Hindi & English
- Test Series
- PYQs practice

#Judiciary

By Arindam Sir

एक ही प्रयास में कैसे सफल हों

#Judiciary

By Poonam Sha



(2) न्यायालय किसी व्यक्ति को, विशेषज्ञ को सुसंगत सूचना देने या कोई सुसंगत दस्तावेज, माल या अन्य संपत्ति को उसके निरीक्षण के लिए पेश करने या उस तक पहुँच उपलब्ध कराने की अपेक्षा कर सकेगा। याँ उसे निदेश दे सकेगा।

(3) विशेषज्ञ द्वारा दो गई राय या रिपोर्ट, वाद के अभिलेख का भाग होगी; और न्यायालय या न्यायालय की अनुज्ञा से वाद का कोई भी पक्षकार वैयक्तिक रूप से विशेषज्ञ को खुले न्यायालय में उसको निर्दिष्ट या उसकी राय या रिपोर्ट में उल्लिखित किसी भी विषय पर या उसकी राय या रिपोर्ट के बारे में या उस रीति के बारे में, जिसमें उसने निरीक्षण किया है, परीक्षा कर सकेगा।

(2) The court may require or direct any person to give relevant information to the expert or to produce, or to provide access to, any relevant documents, goods or other property for his inspection.

(3) The opinion or report given by the expert shall form part of the record of the suit; and the court, or with the permission of the court any of the parties to the suit, may examine the expert personally in open court on any of the matters referred to him or mentioned in his opinion or report, or as to his opinion or report, or as to the manner in which he has made the inspection.





(4) विशेषज्ञ ऐसी फीस, खर्च या व्यय का हकदार होगा, जो न्यायालय नियत करे, जो पक्षकारों द्वारा ऐसे अनुपात में और ऐसे समय पर संदेय होंगे, जो न्यायालय निदेश करे।

(4) The expert shall be entitled to such fee, cost or expense as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion, and at such time, as the court may direct.

IEA
16 classes
32-33

Paper Soln
10:15
//
IEA
7:15
AM



Thanks for Watching!

LIKE, COMMENT AND SHARE



Ummeed Classes
Ummeed Classes



Download



INDIA'S BEST

HINDI + ENGLISH

BATCH

ADMISSION OPEN

सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए

UMMEED
Classes.com



9269100222



By Poonam Sha



SUBSCRIBE

